भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

क्रम सं. पी सी-VI/202 **आरबीई सं. 61/2010**
सं. पीसी-VI/2010/आई/आरएसआरपी/3 **नई दिल्ली, दिनांक: 23.04.2010**

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर)
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
(डाक सूची के अनुसार)

विषय: संशोधित वेतन संरचना में वेतन के निर्धारण तथा वेतनवृद्धियां प्रदान करने के संबंध में स्पष्टीकरण।

रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 की अधिसूचना के पश्चात्, इस मंत्रालय में कुछ रेलों से संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिनमें उन रेलवे कर्मचारियों के मामलों में वेतन के निर्धारण के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है जो वेतनमान के अधिकतम पर वेतन ले रहे हैं अथवा पूर्व-संशोधित वेतनमान में स्टेगनेशन वेतनवृद्धि ले रहे हैं। इस मामले की वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के परामर्श से जांच की गई है। संदेह तथा उनके बारे में स्पष्टीकरण निम्नानुसार हैं:-

क्र. सं.	संदेह	स्पष्टीकरण
1.	रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के नियम 10 के परन्तुक के अनुसार, उन व्यक्तियों के मामले में जो 01.01.2006 को एक वर्ष से अधिक की अवधि से मौजूदा वेतनमान के अधिकतम पर वेतन ले रहे थे, संशोधित वेतन संरचना में अगली वेतनवृद्धि 01.01.2006 को देय होगी। क्या रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के नियम 10 के उपबंध के अंतर्गत एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि का लाभ उन लोगों को भी देय होगा जो 01.01.2005 को वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच गए थे, अर्थात् जिन्हें 01.01.2006 को वेतनमान के अधिकतम पर वेतन लेते हुए ठीक एक वर्ष पूरा हो गया है?	जैसा कि रेलवे बोर्ड के दिनांक 11.02.2009 के पत्र सं. पीसी-VI/2008/आई/आरएसआरपी/1 (क्र.सं. पीसी-VI/76, आरबीई सं. 28/2009) द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण सं. 5 द्वारा पहले ही स्पष्ट किया गया है, उन सभी मामलों में जिनमें रेलवे कर्मचारी को 01.01.2005 के बाद एक वेतनवृद्धि प्रदान की गई है (चाहे सामान्य वार्षिक वेतनवृद्धि हो अथवा स्टेगनेशन वेतनवृद्धि), 01.01.2006 को संशोधित वेतन संरचना में वेतन के निर्धारण के समय कोई वेतनवृद्धि नहीं दी जाएगी। उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि उन मामलों में जिनमें रेलवे कर्मचारियों को **01.01.2005 के बाद** कोई वेतनवृद्धि प्रदान की गई है (सामान्य वार्षिक वेतनवृद्धि अथवा स्टेगनेशन वेतनवृद्धि), 01.01.2006 को संशोधित वेतन संरचना में वेतन के निर्धारण के समय कोई वेतनवृद्धि नहीं दी जाएगी। दूसरे शब्दों में, जिन्हें **01.01.2005 को अथवा इससे पहले** अंतिम वेतनवृद्धि प्रदान की गई थी (सामान्य वार्षिक वेतनवृद्धि अथवा स्टेगनेशन वेतनवृद्धि), 01.01.2006 को संशोधित वेतन संरचना में उनके वेतन के निर्धारण के समय एक वेतनवृद्धि दी जाएगी।
2.	क्या उन कर्मचारियों जिन्हें वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के बाद एक, दो अथवा तीन स्टेगनेशन वेतनवृद्धियां प्रदान की जा चुकी है तथा उसके बाद 01.01.2006 को ठीक एक वर्ष	

	(01.01.2005 को अंतिम स्टेगनेशन वेतनवृद्धि ली हो) अथवा एक वर्ष से अधिक समय से ये वेतन ले रहे हैं को भी रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के नियम 10 के परन्तुक के अनुसार एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि का लाभ प्रदान किया जाए?	
3.	रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के नियम 7 के नीचे नोट 7 के अनुसार, उन मामलों में जिनमें रेलवे कर्मचारी 01.01.2006 से ठीक पहले उसी संवर्ग में उससे कनिष्ठ रेलवे कर्मचारी से अधिक वेतन ले रहा हो, परन्तु संशोधित वेतन बैंड में उसका वेतन उस कनिष्ठ से निम्नतर चरण पर निर्धारित हो जाता है, तो उनका वेतन उनके कनिष्ठ के समान संशोधित वेतन बैंड में उसी चरण तक बढ़ा दिया जाएगा। क्या इस नोट के प्रावधान उस स्थिति में लागू होगा जिसमें ऐसा वरिष्ठ रेलवे कर्मचारी जो 01.01.2006 से ठीक पहले उसी संवर्ग में उससे कनिष्ठ किसी दूसरे रेलवे कर्मचारी से अधिक वेतन ले रहा हो, का वेतन रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के नियम 10 के प्रथम उपबंध के अनुसार अतिरिक्त वेतनवृद्धि प्रदान किए जाने के कारण उस कनिष्ठ से निम्नतर चरण पर निर्धारित हो जाता है?	यद्यपि नियम 7 के नीचे नोट 7 में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि इसमें अंतर्विष्ट प्रावधान उन मामलों में लागू होंगे जिनमें वेतन निर्धारण नियम 7 के उप नियम (1) के तहत किया जाता है, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस नोट के उपबंध रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के नियम 10 के प्रावधान के तहत कनिष्ठ कर्मचारी के वेतन निर्धारण के कारण होने वाली स्थिति में भी लागू होंगे।

2. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(हरि कृष्ण)
निदेशक, वेतन आयोग-II
रेलवे बोर्ड

सं. पीसी-VI/2010/आई/आरएसआरपी/3 **नई दिल्ली, दिनांक: 23.04.2010**

प्रतिलिपि: भारत के अपर उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), नई दिल्ली को (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित) प्रेषित।

कृते वित्त आयुक्त, रेलें।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(Railway Board)

S.No. PC-VI/202 **RBE No. 61/2010**
No.PC-VI/2010/I/RSRP/3 **New Delhi, dated 23.4. 2010**

The GMs/CAOs(R),
All Indian Railways & Production Units
(As per mailing list)

Subject: Fixation of pay and grant of increments in the revised pay structure - Clarifications reg.

Following the notification of the Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008, this Ministry has received references from some Railways seeking clarifications regarding fixation of pay in cases of Railway Servants drawing pay at maximum of the scale or drawing stagnation increment(s) in the pre-revised scale. The matter has been examined in consultation with Ministry of Finance, Department of Expenditure. The points of doubt and clarifications thereto are as under:

S. No.	Points of Doubt	Clarifications
1.	As per the proviso of Rule 10 of Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008, in the case of persons who had been drawing maximum of the existing scale for more than a year as on the 1st day of January, 2006, the next increment in the revised pay structure shall be allowed on the 1st day of January, 2006. Whether the benefit of one additional increment under proviso to Rule 10 of the RS(RP)Rules, 2008 would be available even to those who had reached the maximum of the scale on 1.1.2005, i.e., drawing maximum of pay exactly for one year as on 1.1.2006?	As already clarified vide Clarification No.5 issued vide Railway Board's letter No. PC-VI/2008/I/RSRP/1 dated 11.2.2009 (S. No. PC-VI/76, RBE No. 28/2009) in all case, where a Railway Servant has been granted an increment (whether normal annual increment or stagnation increment) after January1, 2005, no increment will be allowed on 1.1.2006 at the time of fixation of pay in the revised pay structure. From the foregoing, it is evident that in cases where Railway Servants have been granted an increment (whether normal annual increment or stagnation increment) **after January 1, 2005**, no increment will be allowed on 1.1.2006 at the time of fixation of pay in the revised pay structure. In other words, those who were granted their last increment (whether normal annual increment or stagnation increment) **on or before 1.1.2005**, will be allowed an increment on 1.1.2006 at the time of fixation of their pay in the revised pay structure.
2.	Whether even those employees who had already been granted one, two or three stagnation increments after reaching the maximum of the scale and thereafter drawing such pay for exactly one year (having drawn last stagnation increment on 1.1.2005) or more than one year as on 1.1.2006 are also to be granted benefit of one additional increment as per proviso to Rule 10 of the RS(RP) Rules 2008?	

.....2/-

3.	In accordance with Note 7 below Rule 7 of the Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008, in cases where the revised pay of a Railway Servant who was, immediately before 1.1.2006, drawing more pay than another Railway Servant junior to him in the same cadre, gets fixed in the revised pay band at a stage lower than that of such junior, his pay shall be stepped up to the same stage in the revised pay band as that of the junior. Whether the provisions of this note will be applicable in the situation where such a senior Railway Servant who was immediately before 1.1.2006 drawing more pay than another Railway Servant junior to him in the same cadre gets fixed at a stage lower than that of such junior due to grant of additional increment as per 1st proviso to Rule 10 of RS(RP) Rules, 2008?	Even though Note 7 below Rule 7 of the Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008, specifically states that the provisions contained therein shall be applicable in cases where pay fixation is done under Sub Rule (1) of Rule 7, it is clarified that the provisions of this Note shall also be applicable in the situations arising due to pay fixation of the junior employee under proviso to Rule 10 of the RS (RP) Rules, 2008.

2. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

(Hari Krishan)
Director, Pay Commission-II,
Railway Board

No.PC-VI/2010/I/RSRP/3 **New Delhi, dated 23.4. 2010**

Copy to Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.222, Rail Bhavan, New Delhi (with 40 spares)

for Financial Commissioner/Railways.